

FORM NO. III



फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
 प्रेम देवी पति वाल डिशन सुधार बनाम... मारीणा पत्र घाटा

क्रिम मुकदमा/धारा:- प्रार्थना-पत्र (111-128

प्रकरण संख्या 84/2026 जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20/04/2026	<p>प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 28/04/2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा </p>	
28/4/2026	<p>पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की वाद तामील प्राप्त हुई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश मालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दमतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :-

दा. तारीख - 20/4/26

प्रेमदेवी पत्नि बालकिशन जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

मांगीलाल पुत्र घीसा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माड्यारेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक - 20/4/26

प्रार्थना पत्र प्रेमदेवी पत्नि बालकिशन जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी किशोरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री पिंकोश धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 366 पर अंकित आराजी संख्या 1096/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 366 पर अंकित आराजी संख्या 1096/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 84/26

द्र. तारीख - 20/4/26
नि. तारीख - 28/4/26

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या84...../2026 पत्थरगढी बाबत।

प्रेमदेवी पत्नि बालकिशन जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी किशोरपुरा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

मांगीलाल पुत्र घीसा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी माड्यारेडी तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा
धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता
संख्या 366 पर अंकित आराजी संख्या 1096/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात
पडौसीयान को सुचित करते हुए पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान
कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा
समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख
निरीक्षक बिजौलियाँ कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त
मौका प्रार्थी अदा करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ